पुर्नमूल्यांकन के लिए निर्देश

1. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभी अंडर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट (वार्षिक/सेमेस्टर) परीक्षाओं के लिए उत्तर–पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र जमा करने के लिए ऑनलाइन मोड को अपनाया है जिनकी परीक्षा मई 2019 में आयोजित की गई है। तदनुसार जो छात्र अपनी उत्तर–पुस्तिका(ओं) के पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें केवल ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से निर्धारित प्रोफार्मा भरकर अपना आवेदन जमा करना होगा। इस उद्देश्य के लिए छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.kuk.ac.in पर जाने की सलाह दी जाती है।

नोटः अन्य मामलों में जहाँ परिणाम पहले ही घोषित किए जा चुके हैं और ऑफलाइन मोड़ के माध्यम से पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन किया गया है तो मौजूदा नियमों के अनुसार उत्तर–पुस्तिका(ओं) के पुर्नमूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

आवेदनकर्ता परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर www.kuk.ac.in पर उपलब्ध ऑनलाइन लिंक के माध्यम से केवल थ्योरी पेपर की उत्तर–पुस्तिका(ओं) के लिए अपना आवेदन कर सकते है। उत्तर–पुस्तिका(ओं) के लिए निर्धारित शुल्क इस प्रकार हैं:

i) बीडीएस के लिए रू 1000/– प्रति उत्तर–पुस्तिका।

ii) इंजीनियरिगं और फार्मेसी के लिए रू 500/– प्रति उत्तर–पुस्तिका ।

iii) अन्य सभी परीक्षाओं के लिए रू 300/– प्रति उत्तर–पुस्तिका

नोटः 15 दिनों की अवधि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम के घोषणा/प्रकाशन के अगले दिन से शुरू होगी। 15 दिनों के बाद आवेदनकर्ता रू 300/– के विलंब शुल्क के साथ उत्तर–पुस्तिका(ओं) के पुर्नमूल्यांकन की अंतिम तिथि के अगले 7 दिनों तक आवेदन कर सकता है।

2. आवेदनकर्ता फार्म को भरते समय आनॅलाइन शुल्क निर्धारण लिंक के माध्यम से Debit/Credit cards/Net Banking द्वारा अपने शुल्क का भुगतान करें।
3. किसी भी ग्रांउड पर परीक्षा की तारीख के 1 वर्ष पश्चात् पुर्नमूल्यांकन फार्म जमा करने पर किसी भी उत्तर–पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
4. शोध प्रबंधों में पुर्नमूल्यांकन की अनुमति नहीं है जैसे प्रोजेक्ट रिर्पोट, प्रैक्टिकल, स्नात्तक कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन का विषय।
5. आवेदनकर्ता उन विषय(ओं) का सावधानीपूर्वक चयन करें जिसमें उत्तर–पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
6. छात्रों को अपने रिकार्ड के लिए आवदेन पत्र का प्रिंटआउट लेने की सलाह दी जाती है।
7. पुर्नमूल्यांकन के कारण अंकों में वृद्दि/कमी को ध्यान में रखा जाएगा सम्बन्धित नियम 18.3 के अनुसार किसी छात्र(ओं) के परिणाम/अंक को पुर्नमूल्यांकन स्कोर के आधार पर संशोधित किया जाएगा इसके अतिरिक्त यदि सम्बन्धित पेपर के अंक आंवटित अधिकतम अंकों के 3 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ या घट जाते है। तथा या पुर्नमूल्यांकन के कारण विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम की प्रकृति/रूप में बदलाव होता है जैसे डिविजन में परिवर्तन या कम्पार्टमैंट/रि–अपीयर में फेल या पास होने में विफल या कम्पार्टमैंट/पुनर्परीक्षा या मास्टर डिग्री के अंकों का जोड़/कुलयोग 55 प्रतिशत अंक बनते हो। पुनर्मूल्यांकन के नियम कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र की वेबसाइट www.kuk.ac.in /K.U Calendar Vol.-II, Part-II/2014 में उपलब्ध है।
8. उत्तर–पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन से सम्बन्धित सभी कानूनी विवाद कुरूक्षेत्र कोर्ट के अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालयों के अधीन होंगे।
9. आवेदनकर्ता को पुर्नमूल्यांकन की अवार्ड शीट प्राप्त होने से पहले अपना आवेदन वापिस लेने की अनुमति है और ऐसे में कोई शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।
10. पुर्नमूल्यांकन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 15 दिनों के भीतर (जिस तारीख को पुर्नमूल्यांकन का परिणाम एसएमएस या मेल द्वारा प्रेषित किया जाएगा) लिखित अनुरोध पर कार्यदिवस के दौरान रूपये 100 प्रति उत्तर–पुस्तिका को देख सकता है।
11. समय–2 पर विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों के तहत पुर्नमूल्यांकन किया जाएगा उत्तर–पुस्तिका के पुर्नमूल्यांकन का परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद आवेदनकर्ता को उनकी दर्ज कराई E-mail/Mobile No पर सूचित किया जाएगा। इस आशय पर कोई अंतरिम पत्रव्यवहार की अनुमति नहीं है।
12. आवदेनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने भविष्य की कार्यक्रमों की योजना अथवा पुनर्परीक्षा का फार्म भरना अपने मूल परिणाम के अनुसार जो पहले ही परीक्षा शाखा द्वारा संप्रेषित हो चुका है उसके अनुसार करें जब तक कि वह पुर्नमूल्यांकन के परिणाम से प्रभावित न हो।